

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:-कम्प्यूटर सैल/राजकाज/2018-19/49192-271 दिनांक- 29/10/2021

॥आदेश॥

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक कम्प्यूटर सैल/राजकाज/2018-19/33782-820 दिनांक 19.08.2021 के तहत कारागार विभाग में राजकाज पोर्टल के लिव मॉड्यूल को दिनांक 25.08.2021 से प्रारम्भ किया गया था।

विभाग में कार्मिकों के स्थानान्तरण के उपरान्त “अभियान फूल थ्रू” के आदेश क्रमांक 42789-889 दिनांक 12.10.2021, 43779-879 दिनांक 20.10.2021 एवं 48325-433 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा राजकाज में मैपिंग एवं लिव मॉड्यूल पर कार्मिकों के डाटा अपडेट करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

कारागार विभाग में समस्त कार्यालयों में राजकाज एप्लीकेशन के (Leave Module) दिनांक 01.11.2021 से संचालन हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करे:-

1. कारागार विभाग के समस्त कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अवकाश के आवेदन करने पर केवल एक मात्र ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावें।
2. अवकाश जारीकर्ता अधिकारी (Recomanding Officer) लिव मॉड्यूल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय पर निस्तारण करे।
3. अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी (Approving Officer) लिव मॉड्यूल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय पर निस्तारण करे।
4. महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर एवं समस्त उप-महानिरीक्षक कारागार रेन्ज समय-2 पर स्वयं एवं आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के कार्मिकों के स्थानान्तरण/अटैचमेन्ट होने पर आपके कार्यालय में पदस्थापित नोडल अधिकारी स्वयं के यूजर से स्थानान्तरित कार्मिकों के मैपिंग का कार्य करेंगे।
5. समस्त कार्यालयों के मार्क 2 जारीकर्ता अधिकारी (Recomanding Officer) एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी (Approving Officer) के स्थानान्तरण/कार्य विभाजन होने पर शीघ्र ही कार्मिकों की हैरारकी अपडेट करें। उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रकार के अवकाश(आकस्मिक/रूपान्तरित/मैडिकल/अन्य) मार्क-2 के द्वारा ही अपडेट किये जायेगे।
6. समस्त कारागृह उपरोक्तानुसार अवकाश सम्बन्धी शेयर गूगल शीट पर प्रतिदिन 9.30 एएम पर सूचना दिनांक 30.11.2021 तक अपडेट करना सुनिश्चित करावें, ताकि अवकाश डाटा की ऑनलाईन स्क्रीनिंग की जा सके।

उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यवाही करने का श्रम करे।

20/11/20

(मोनिता अग्रवाल)
प्रशासनिक नोडल अधिकारी एवं
उप-महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस/महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. उप-महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
6. श्री सुशील परिहार, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलग मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यवाही में तकनीकी समस्या आने पर राजकाज टीम के द्वारा शीघ्र निस्तारण करने प्रेषित है।
7. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह /महिला बंदी सुधारगृह/ उच्च सुरक्षा कारागृह राजस्थान।
8. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
9. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार राज. जयपुर।
10. निजी सहायक, अति. महानिदेशक, कारागार राज. जयपुर।
11. निजी सहायक, महानिरीक्षक, पुलिस कारागार राज. जयपुर।
- ✓ 12. निजी सहायक, महानिरीक्षक, कारागार राज. जयपुर।
13. प्रभारी स्थापना, मुख्यालय कारागार राज. जयपुर।
14. श्री करतार सिंह, तकनीकी नोडल अधिकारी एवं उप कारापाल कम्प्यूटर सैल महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 15. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी कंट्रोल रूम, को वास्ते ईमेल करने हेतु।

20/11/20

प्रशासनिक नोडल अधिकारी एवं
उप-महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर